बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

अधिसूचना

सं० :–3/अ०प्र०–1–229/2020 87 /पटना, दिनांक :– 12-1-24

श्री अनिल कुमार, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रमीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, रोसड़ा के विरूद्ध प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत कार्य प्रमंडल, रोसड़ा के अधीन कुल 6 पथों का ATR लंबित रहने एवं इस संबंध में विभागीय निदेश के बावजूद स्पष्टीकरण समर्पित नहीं करने से संबंधित आरोप के लिए आरोप पत्र गठित कर विभागीय संकल्प संख्या–1245 दिनांक 22.05.2023 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 14 एवं 17 के तहत विभागीय कार्यवाही मुख्य अभियंता–3, ग्रामीण कार्य विभाग के अधीन संचालित की गयी।

मुख्य अभियंता–3–सह–संचालन पदाधिकारी के पत्रांक 4486 अनु0 दिनांक 16.08.2023 के माध्यम से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में श्री कुमार के विरूद्ध गठित आरोपों को अप्रमाणित पाये जाने का मंतव्य दिया गया। संचालन पदाधिकारी द्वारा दिये गये मंतव्य के अनुसार श्री कुमार का पदस्थापन कार्य प्रमंडल, रोसड़ा में दिनांक–03.07.2020 से दिनांक–01.07.2022 तक रहा है। इनके द्वारा ATR के निराकरण हेतु त्वरित कार्रवाई की गयी जिसके फलस्वरूप 6 ATR में से 3 ATR को Regrade कराया गया एवं शेष 3 ATR में से 1 ATR को बाढ़ के कारण रिजेक्ट किया गया, 1 ATR को Compliance हेतु SQC को भेजा गया तथा 1 ATR लंबित रखने वाले संवेदक के विरूद्ध उनके निबंधन को काली सूची में डालने की कार्रवाई की गयी। विभागीय निदेश के बावजूद स्पष्टीकरण समर्पित नहीं करने से संबंधित आरोप के संबंध में ससमय तामिला नहीं होने का श्री कुमार के बचाव बयान को साक्ष्य के अभाव में स्वीकार योग्य होने का मंतव्य संचालन पदाधिकारी द्वारा दिया गया।

संचालन पदाधिकारी के उपरोक्त मंतव्य की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गयी एवं समीक्षोपरांत संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से सहमत होते हुए श्री अनिल कुमार, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, रोसड़ा के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में दर्ज आरोपों को अप्रमाणित मानते हुए आरोप मुक्त करने का निर्णय लिया गया है।

अतएव श्री अनिल कुमार, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, रोसड़ा सम्प्रति अधीक्षण अभियंता (कार्यकारी प्रभार), ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, बेतिया को उनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में दर्ज आरोपों को अप्रमाणित मानते हुए आरोप मुक्त किया जाता है।

12/1/24
(आदित्य प्रकाश)
अवर सचिव

Phone-0612-2545191 Fax-0612-2545322, Website :-http://rwd.bih.nic.org,, E-mail:**Secartary rwd bihar@gmail.com**,& secy-reo-bih@nic.in

ज्ञापांक :– 3/अ०प्र०–1–229/2020 88

प्रतिलिपि :–माननीय उप मुख्य (ग्रामीण कार्य) मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/विशेष सचिव (सम्प्रति सचिव) के निजी सहायक/अभियंता प्रमुख/मुख्य अभियंता–3, ग्रामीण कार्य विभाग/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, समस्तीपुर/बेतिया/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, रोसड़ा/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–6/एवं श्री अनिल कुमार, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, रोसड़ा सम्प्रति अधीक्षण अभियंता (कार्यकारी प्रभार), ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, बेतिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। /पटना, दिनांक :– 12.1.24

12/1/24
अवर सचिव

ज्ञापांक :– 3/अ०प्र०–1–229/2020 88

प्रतिलिपि :–विभागीय आई0टी0 मैनेजर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित। /पटना, दिनांक :– 12.1.24

12/1/24
अवर सचिव

ne-0612-2545191 Fax-0612-2545322, Website :-http://rwd.bih.nic.org,, E-mail:Secartary rwd bihar@gmail.com,& secy-reo-bih@nic.i